# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :– 02/189/2011

<u>पप्पूलाल बनाम अशोक सिंह वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 15.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट पलवा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 23.08.2011 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 269/0.70, है. वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 30.11.2011 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में मजाहमत न करें व बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 बाद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2064–67 खाता संख्या 156 पर अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी में होना प्रथम दृष्टया साबित है। प्रकरण में टी.आई. आदेश 2011 से प्रचलन में है जिसे लगभग 7 वर्ष का समय हो गया है एवं अभी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 269/0.70, है. वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.08.2011 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट पलवा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official